G.P.Ju.

1

FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

2020/100

Order Sheet

CNR NUMBER .....

Court of उपखण्ड अधिकारी at भोपालगढ़

Kind of the Case 53,188 RT Act

Number of Case ..... Year .....

रामकिशोर Versus निम्बाराम

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
06/12/21	राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 'प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021' के अन्तर्गत पंचायती स्तर अवलोकन कैम्प मोर रामपुरा में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण अनु०। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच समझौता हो गया है तथा वादीगण वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वादीगण का वाद परिवे विड़ो खारिज फरमाया जावे। वादीगण के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत 53,188 RT Act का परिवे विड़ो खारिज किया जाता है। पंचायती कैम्प सुबह होकर दर्ज नम्बर से कम होकर काबिल दफ्तर हो। नियम अब दि० 06/12/21 को कैम्प मोर रामपुरा में सुनाया गया।	विड़ो खारिज. रामकिशोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:06:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)